

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 107 / 2019

तारीखरजु:- 16-8-19

उनवान:- रोसी बनाम रामदयाल वगै०

दावा वावत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती धारा 88,136 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
16-8-19	<p>वादी की ओर से श्री दिलावर सिंह एडवोकेट ने दावा वावत घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरुस्ती धारा 88,136 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 04.10.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
4-10-19	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 1, 2, 6, 8 ता. 14, 17 कावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है। प्रतिवादी नं. 7 का सम्मन अदम्यता प्रालाप्त हुआ है। प्रतिवादी नं. 3, 4, 5, 15, 16 के सम्मन वापिस प्रालाप्त नहीं हैं। पुनः तलबकी व बस्तजार सम्मन दिनांक 6.11.19 को पेश हो।</p>
6.11.19	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 4, 15, 16 के सम्मन अदम्यता प्रालाप्त शामिल किये। किन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है, शेष सम्मन वापिस प्रालाप्त नहीं। वादी वकील ने पुनः सम्मन तलबाना पेश करने का कथन किया। प.०.स.० करौली मीरिंग में पधार है, बाहेतलबकी दिनांक 10.12.19 को पेश हो।</p>
10.12.19	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 3, 5, 17 के पुनः सम्मन तलबाना पेश करे। बाहेतलबकी दिनांक 13-1-20 को पेश हो।</p>
13-1-20	<p>वादी वकील उपस्थित/पीठासन अधिकारी - सुभाष इश्यरी ने पधार है। अतः पत्रावली गतनुसार दिनांक 24-1-20 को पेश हो।</p>
24.2.20	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं. 3, 5, 17 के सम्मन तलबाना पेश कर तलबकी ध्यान के निर्देश दिये गये। दिनांक 20.2.20 को पेश हो।</p>

454965
16/9/19

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्ब अहकाम

32.21 वादी वकील उपर। प्रतिवादी नं. 17 बचत सूचा उपर नहीं है
 उनके विरुद्ध एक पक्षीय काश्मिरी की जाती है प्रतिवादी नाम
 3.5 के लिए फेरे गोब मे इस नाम का व्यक्ति नहीं होने का नोट
 दर्ज करते हुए वापिस आया है। वादी वकील ने पुनः नोपपेते
 पर तलवाना पेश कले समय चाहा। तलवाना पेश कले
 दिनांक 17.3.21 को पेश हो।

32 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित
 पत्रावली वाले तलवाना प्रतिवादी नं.
 3.5 हेतु दिनांक 06.4.21 को पेश हो।

4.21 वादी वकील उपर। गतादेशिका की पालना में तलवी करामत
 दिनांक 17.5.21 को पेश हो।

0.4.21 पत्रावली जनरल पेशी से पेश हुई वादी वकील
 एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है।
 कई बार ठक-ठक कर आवाज दिलाई गई।
 फिर भी वादी एवं वादी वकील में से कोई भी
 उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम हाजिरी
 एवं अदम चैरकी में रबारिज किया जाता है। पत्रावली
 फेसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
 दफतर हो।

(विर्गा प्रसाद मीना)
 उपकरण अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करीली